रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269754
CG-DL-E-01022026-269754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]	**नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 2026/माघ 12, 1947**
No. 85]	**NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026/MAGHA 12, 1947**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सं.14 /2026-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 90(अ)— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और यात्री सामान नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री सामान नियम, 2026 है ।

(2) ये तारीख 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.** – (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

क. “अधिनियम” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;

ख. "उपाबंध" से इन नियमों के साथ संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;

ग. "परिशिष्ट" से इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;

घ. "पर्यटक वीज़ा से अन्यथा विधिमान्य वीज़ा वाला विदेशी" से ऐसा विदेशी अभिप्रेत है, जिसके पास पर्यटक वीज़ा से भिन्न विधिमान्य वीज़ा है और जो भारत में छह माह से अधिक समय से रह रहा है;

ङ. "शिशु" से दो वर्ष से अनधिक आयु का बालक अभिप्रेत है;

च. "आभूषण" से ऐसे आभूषण अभिप्रेत हैं जिन्हें कोई व्यक्ति सामान्यतः पहनता है और जो सोने, चांदी, प्लेटिनम या ऐसी अन्य बहुमूल्य धातुओं से बने होते हैं, चाहे उन में जड़ाऊ पदार्थ हो अथवा नहीं;

छ. "व्यक्तिक चीजवस्त" से सभी वस्तुएं (नयी अथवा प्रयुक्त) अभिप्रेत हैं जिनकी किसी यात्री को यात्रा के दौरान अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा हो सकेगी है, जिसमें यात्रा की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इसमें वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आयातित अथवा निर्यातित कोई भी माल शामिल नहीं है;

ज. "निवासी" से पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के अधीन जारी विधिमान्य पासपोर्ट धारण करने वाला और सामान्यतः भारत में निवास करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

झ. "पर्यटक" से भारत में सामान्यतः निवास न करने वाला ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है और जो विधिसम्मत गैर अप्रवास प्रयोजन के लिए किसी बारह मास की अवधि के अनुक्रम में छह मास से अनधिक ठहरने के लिए भारत में प्रवेश करता है ।

(2) ऐसे शब्द और पद जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) में परिभाषित हैं के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में उनके हैं ।

3. व्यक्तिक चीजवस्त का शुल्क मुक्त आयात - भारत आने वाले यात्री, जिसमें शिशु भी शामिल है, को जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित प्रयुक्त निजी सामान की निकासी और उसमें वास्तविक सामान के साथ व्यतिगत रूप से लाए जा रहे यात्रा स्मृति चिन्हों को उपाबंध-I में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त, शुल्क मुक्त ले जाने की अनुमति दी जाएगी ।

4. **पुनः आयात और अस्थायी आयात के लिए उपबंध -** (1) रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित किए गए व्यक्तिक चीजवस्त के अतिरिक्त कोई भी व्यक्तिक चीजवस्त, जो निवासी ने पहले निकाल लिया हो या भारतीय मूल के पर्यटक या पर्यटक वीज़ा से अन्यथा विधिमान्य वीज़ा वाला विदेशी, या उनके परिवार के सदस्य को, भारत से शुल्क मुक्त ले जाने की अनुमति दी जाएगी, यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा इस बात की संतुष्टि के अधीन, कि ऐसे व्यक्तिक चीजवस्त प्रस्थान के समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा की गई घोषणा के आधार पर भारत से पहले ही निकाले जा चुके हैं ।

(2) जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रयुक्त व्यक्तिगत सामानों के अतिरिक्त व्यक्तिक चीजवस्त की कोई भी मद, जो किसी पर्यटक द्वारा भारत में अपने प्रवास के लिए आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा की गई घोषणा प्रस्तुत करने पर, अस्थायी रूप से शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी जा सकेगी और विदेशी गंतव्य के लिए भारत से प्रस्थान करते समय उनके पुनः निर्यात की अनुमति दी जा सकती है ।

(3) इस नियम के अधीन सुविधा का लाभ उठाने वाले यात्री जोखिम आधारित सत्यापन के अधीन हो सकेंगे ।

5. **साधारण मुक्त मोक –** भारतीय मूल का कोई निवासी या पर्यटक या पर्यटक वीज़ा से अन्यथा विधिमान्य वीज़ा वाला विदेशी और जो शिशु नहीं है, भूमि के रास्ते के अतिरिक्त भारत आता है, तो उसे उपाबंध-I में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त, पचहत्तर हज़ार रुपये तक के मूल्य की किसी भी वस्तु की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति होगी, यदि वे स्वयं या यात्री के यात्री सामान के साथ वाले यात्री सामान में रखीं हों, यदि ऐसी वस्तु व्यक्ति द्वारा या यात्री के सामान के साथ सद्भावपूर्वक लाई जाती हैं:

परन्तु विदेशी मूल का कोई पर्यटक, जो शिशु नहीं है, भूमि के रास्ते के अतिरिक्त किसी और रास्ते से भारत आता है, तो उसे उपाबंध-I में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त, पच्चीस हज़ार रुपये तक के मूल्य की दूसरी वस्तुओं को शुल्क मुक्त के ले जाने की अनुमति होगी, यदि वे स्वयं या यात्री के सामान के साथ सद्भावपूर्वक लाई जाती है:

परन्तु यह और कि जहां यात्री भूमि के रास्ते भारत आता है, तो केवल रोज़मर्रा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किए गए निजी सामान को ही शुल्क मुक्त ले जाने की अनुमति होगी:

परन्तु यह और भी कि अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र के यात्री (चालक सदस्य के अतिरिक्त) को सद्भावपूर्वक यात्री सामान में शुल्क मुक्त नोटपेड सहित एक नए लैपटॉप के निकासी की अनुमति होगी ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, इस नियम के अधीन किसी यात्री के मुक्त मोक को किसी अन्य यात्री के मुक्त मोक के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. **आभूषण के लिए विशेष मोक** – एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी या पर्यटक को, भारत लौटने पर, यदि कोई महिला यात्री है तो बीस ग्राम तक के आभूषण या यदि महिला यात्री के अतिरिक्त कोई और यात्री है, तो चालीस ग्राम तक के आभूषण, शुल्क मुक्त निकासी के सद्भावपूर्वक यात्री सामान के साथ लाने की अनुमति होगी ।

7. **निवास का स्थानांतरण** - (1) भारतीय मूल का निवासी या पर्यटक, जो विदेश में किसी वृति में लगा हुआ है, या वापसी पर अपना निवास भारत में स्थानांतरित करता है, के उसे यथास्थिति नियम 3, या नियम 5 के अधीन सामान लाने की अनुमति है, इसके अतिरिक्त स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित, शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, स्तंभ (2) में उल्लिखित सीमा तक वास्तविक यात्री सामान की वस्तुओं की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति होगी, और परिशिष्ट 1 के स्तंभ (4) उल्लिखित ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक छूट दी जाएगी ।

(2) पर्यटक वीज़ा के अतिरिक्त विधिमान्य वीजा वाले विदेशी, जो भारत में किसी वृत्ति में लगे हुए हैं या अपने निवास को भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं, आगमन पर, के उसे यथास्थिति नियम 3, या नियम 5 के अधीन सामान लाने की अनुमति है, इसके अतिरिक्त स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित, शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, स्तंभ (2) में उल्लिखित सीमा तक वास्तविक यात्री सामान की वस्तुओं की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति होगी, और परिशिष्ट 2 के स्तंभ (4) उल्लिखित ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक छूट दी जाएगी ।

(3) उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, परिशिष्ट 1 और 2 में उल्लिखित मूल्य तक निवास के स्थानांतरण पर ला सकेगा ।

(4) यदि भारत में निवास की विहित अवधि में कमी हो, तो यात्री को बिना किसी देरी के यथास्थिति, प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को सूचित करना होगा, जिसकी अधिकारिता में उस सीमाशुल्क केन्द्र की अधिकारिता हो जहां शुल्क मुक्त निकासी की अनुज्ञा दी गई थी, और अनुज्ञेय शुल्क मुक्त मोक से अधिक माल पर लागू शुल्क, यदि कोई हो, और लागू ब्याज का भुगतान करना होगा ।

8. **मुद्रा** - इन नियमों के अधीन करेंसी के आयात और निर्यात का विनियमन विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियम, 2015 के उपबंधों और उनके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएँ के अनुसार किया जाएगा ।

9. **पालतू जानवर** – किसी यात्री द्वारा पालतू जानवरों का आयात केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या किसी प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नियमों द्वारा विनियमित किए जाएंगे ।

10. **असंगी यात्री सामान के संबंध में नियम** - (1) ये नियम सभी असंगी यात्री सामान को लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा उन नियमों से बाहर न रखा गया हो:

परन्तु यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त असंगी यात्री सामान की अनुमति दे सकेगा यदि यह विदेशी यात्री के कब्जे में है और भारत में पहुंचने से एक माह के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर भेजा गया है ।

परन्तु यह और कि यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को असंगी यात्री सामान के पहुंचने से दो महीने पहले या एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर भारत में पहुंच सकता है, जैसा कि लिखित रूप में दर्शाए जाने वाले कारणों से अनुमति दें, यदि उन्हें विश्वास है कि यात्री दो महीने की अवधि के भीतर भारत आने से रोका गया है, जो कि उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां हैं, जैसे यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य की अचानक बीमारी, या प्राकृतिक आपदाएँ या अशांत पस्थितियाँ या संबंधित देश या देशों में परिवहन या यात्रा व्यवस्था में व्यवधान या कोई अन्य कारण, जिसके कारण यात्री के यात्रा कार्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया हो ।

11. **चालक दल के सदस्यों पर इन नियमों का लागू होना -** (1) ये नियम विदेश जाने वाले वाहन में लगे चालक सदस्यों पर उनके कार्य के समाप्त होने पर अंतिम भुगतान के समय अपने यात्री सामान के आयात के लिए भी लागू होंगे।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लोगों के अतिरिक्त किसी जलयान या वायुयान के चालक दल के सदस्य को अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए चॉकलेट, चीज, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उपहार वस्तुएँ लाने की अनुमति होगी, जिनका मूल्य दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं है।

उपाबंध-1

(नियम 3, 5 और 7 देखें)

1. आग्नेयास्त्र,
2. 50 से ज़्यादा आग्नेयास्त्रों के कारतूस।
3. 100 से अधिक सिगरेट या 25 से अधिक सिगार या 125 ग्राम से अधिक तंबाकू।
4. दो लीटर से अधिक शराब या वाइन।
5. आभूषणों के अतिरिक्त किसी भी रूप में सोना या चांदी।
6. टेलीविज़न।

उपाबंध 2

(नियम 7 देखें)

1. होम थिएटर सिस्टम।
2. एयर-कंडीशनर।
3. माइक्रोवेव ओवन।
4. वॉशिंग मशीन।
5. गैस कुर्किंग रेंज।
6. व्यक्तिगत कंप्यूटर (डेस्कटॉप कंप्यूटर)।
7. लैपटॉप कंप्यूटर (नोटबुक कंप्यूटर)।
8. घरेलू रेफ्रिजरेटर।
9. टेलीविज़न।
10. डिश वॉशर।
11. डीप फ्रीजर।
12. वीडियो कैमरा या ऐसे किसी वीडियो कैमरा का निम्नलिखित में से एक या अधिक वस्तुओं के साथ संयोजन, अर्थात्: -

(क) टेलीविज़न रिसीवर;

(ख) ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन साधित्र;

(ग) वीडियो पुनरुत्पादन साधित्र।

13. वैक्यूम क्लीनर।
14. एयर फ्रायर।
15. ड्रायर मशीन।
16. एयर कूलर।
17. प्ले स्टेशन या कोई अन्य गेमिंग कंसोल।
18. वॉटर डिस्पेंसर।
19. तेल हीटर।

20. इलेक्ट्रिक ओवन ।
21. संगीतात्मक यंत्र (पियानो या गिटार, आदि) ।
22. टैबलेट (जैसे आईपैड) ।
23. छोटे ब्लूटूथ स्पीकर ।
24. एयर प्यूरीफायर ।
25. डीह्यूमिडिफायर ।
26. मल्टीफ़ंक्शन प्रिंटर ।
27. रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ।
28. मसाज चेयर ।
29. प्रोजेक्टर ।
30. एम्पलीफायर ।

परिशिष्ट-1

(नियम 7 देखें)

भारत मूल के निवासियों और पर्यटकों के लिए उपलब्ध मोक

विदेश में रहने की अवधि	**शुल्क मुक्त अनुज्ञात वस्तुएं**	**शर्तें**	**छूट**
(1)	(2)	(3)	(4)
तीन महीने से लेकर बारह महीने तक	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल कीमत एक लाख पचास हज़ार रुपये तक ।	-	-
पिछले दो वर्षों के दौरान कम से कम एक वर्ष रहा है ।	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य तीन लाख रुपये तक ।	यात्री ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं उठाया हो ।	-
कम से कम दो वर्ष या उससे अधिक रहा है	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य सात लाख पचास हजार रुपये तक ।	(i) जिसका निवास स्थानान्तरण पर आगमन की तारीख से तुरन्त पहले विदेश में न्यूनतम दो वर्ष का रहा हो;	(क) शर्त (i) के लिए, विदेश में रहने को दो महीने तक सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा माफ किया सकता है, यदि शीघ्र वापसी निम्नलिखित कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा ली गई सेवांत छुट्टी या अवकाश; या

			(ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे ।
		(ii) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में छोटी यात्रा पर कुल निवास छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए; और	(ख) शर्त (ii) के लिए, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करके छह महीने से अधिक की छोटी यात्राओं को माफ कर सकते हैं ।
		(iii) यात्री ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं उठाया है ।	(ग) शर्त (iii) के लिए, कोई छूट नहीं होगी ।

परिशिष्ट-2

(नियम 7 देखें)

पर्यटक वीज़ा से अन्यथा विधिमान्य वीज़ा वाला विदेशियों को मिलने वाले मोक

निवास करने की अवधि	**शुल्क मुक्त अनुज्ञात वस्तुएं**	**शर्तें**	**छूट**
(1)	(2)	(3)	(4)
भारत में छह माह से लेकर बारह माह तक	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य एक लाख पचास हज़ार रुपये तक ।	(i) भारत में न्यूनतम छह माह रहा हो;	शर्त (i) के लिए, भारत में तीन माह से कम रुकने की स्थिति में प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त माफ कर सकते हैं, अगर शीघ्र निकलना निम्नलिखित कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा सेवांत छुट्टी; या (ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे । (ख) शर्त (ii) के लिए कोई छूट नहीं होगी ।

		(ii) यात्री ने पिछले एक वर्ष में इस छूट का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।	
भारत में आने की तारीख से अगले दो वर्षों के दौरान कम से कम एक वर्ष रहा हो।	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य तीन लाख रुपये तक।	(i) भारत में पहुंचने की तारीख से उत्तरवर्ती दो वर्षों के दौरान न्यूनतम एक वर्ष रहा हो। (ii) यात्री ने पिछले एक वर्ष में इस छूट का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।	भारत में तीन माह से कम रुकने की स्थिति में प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त माफ कर सकते हैं,शीघ्र वापसी निम्नलिखित कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा सेवांत छुट्टी का लाभ उठा लिया गया हो; या (ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे। (ख) शर्त (ii) के लिए कोई छूट नहीं होगी।

निवास करने की अवधि	**शुल्क मुक्त अनुज्ञात वस्तुएं**	**शर्तें**	**छूट**
(1)	(2)	(3)	(4)
भारत में कम से कम दो वर्ष या उससे अधिक का निवास	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में सूचीबद्ध वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य सात लाख पचास हज़ार रुपये तक।	(i) निवास स्थानान्तरण पर भारत में आगमन की तारीख के तुरन्त बाद की अवधि के दौरान भारत में न्यूनतम दो वर्ष तक रहने का हो;	(क) शर्त (i) के लिए, भारत में दो माह से कम रुकने की स्थिति में सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकता हैं, यदि समय से पहले वापसी निम्नलिखित कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा सेवांत छुट्टी का लाभ उठा लिया गया हो; या (ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे। (ख) शर्त (i) के लिए, प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप

		(ii) यात्री ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं उठाया है।	में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से छह महीने तक की छोटी यात्राओं को माफ कर सकते हैं । (ग) शर्त (ii) के लिए, कोई छूट नहीं होगी ।
दो वर्षों या उससे अधिक विदेश में रहने के बाद वापस आना ।	व्यक्तिगत और गृहस्थी सामान, उपाबंध-1 में सूचीबद्ध वस्तुओं से भिन्न, लेकिन उपाबंध 2 में उल्लिखित वस्तुओं सहित, प्रत्येक इकाई से अधिक नहीं, कुल मूल्य सात लाख पचास हज़ार रुपये तक ।	(i) जिसका निवास स्थानान्तरण पर आगमन की तारीख से तुरन्त पहले विदेश में न्यूनतम दो वर्ष का रहा हो;	(क) शर्त (i) के लिए, विदेश में रहने में दो महीने तक की कमी को सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त द्वारा माफ किया जा सकता हैं, अगर जल्दी वापसी निम्नलिखित कारणों से हो:- (i) यात्री द्वारा ली गई सेवांत छुट्टी या अवकाश; या (ii) कोई अन्य विशेष परिस्थितियाँ, जिनके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे ।
		(ii) पिछले दो सालों के दौरान भारत में छोटी यात्रा पर कुल निवास छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए; और	(ख) शर्त (ii) के लिए, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से छह महीने से अधिक की छोटी यात्राओं को माफ़ कर सकते हैं । (ग) शर्त (iii) के लिए, कोई छूट नहीं होगी ।
		(iii) यात्री ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं उठाया हो ।	

[फा. सं. 450/174/2024-सीयूएस-IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2026

No. 14/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 90(E).— In exercise of the powers conferred by section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Baggage Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Baggage Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 2nd of February, 2026.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "Annexure" means the Annexures appended to these rules;

(c) "Appendix" means the Appendix appended to these rules;

(d) "foreigner with a valid visa, other than tourist visa" means a foreigner possessing a valid visa, other than a tourist visa and staying in India for more than six months;

(e) "infant" means a child not more than two years of age;

(f) "jewellery" means articles of adornment ordinarily worn by a person, made of gold, silver, platinum or such other precious metals, whether studded or not;

(g) "personal effects" means all articles (new or used) which a passenger may reasonably require for his personal use during the journey, taking into account all the circumstances of the journey, but excluding any goods imported or exported for commercial purposes;

(h) "resident" means a person ordinarily residing in India and holding a valid passport issued under the Passports Act, 1967 (15 of 1967);

(i) "tourist" means a person not ordinarily resident in India and who enters India for a stay of not more than six months in the course of any twelve months period for legitimate non-immigrant purposes.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) shall have the same meanings respectively as assigned to them in the said Acts.

3. **Duty free imports of personal effects-** A passenger, including an infant arriving in India, shall be allowed clearance of used personal effects required for satisfying daily necessities of life and travel souvenirs, carried on the person or in his *bona fide* baggage, free of duty, other than those articles mentioned in Annexure-I.

4. Provisions for re-import and temporary import. - (1) Any article of personal effects other than used personal effects required for satisfying daily necessities of life, taken out earlier by the resident or tourist of Indian origin or foreigner with a valid visa, other than tourist visa, or member of his family, from India shall be allowed free of duty, on submission of declaration made at the time of his departure from India electronically or otherwise, subject to the satisfaction of the same by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.

(2) Any article of personal effects other than used personal effects required for satisfying daily necessities of life, carried by a tourist, required for his stay in India, may be allowed to be imported temporarily free of duty, on submission of a declaration made electronically or otherwise, and subject to their re-export at the time of leaving India for a foreign destination.

(3) The passengers availing the facility under this rule, may be subject to risk based verification.

5. General free allowance. - A resident or a tourist of Indian origin or foreigner with a valid visa, other than tourist visa, not being an infant, arriving in India other than by land, shall be allowed clearance free of duty articles other than those mentioned in Annexure-I, up to the value of seventy-five thousand rupees, if such articles are carried on the person or in the *bona fide* accompanied baggage of the passenger:

Provided that a tourist of foreign origin, not being an infant, arriving in India other than by land, shall be allowed clearance free of duty articles other than those mentioned in Annexure-I, up to the value of twenty-five thousand rupees, if these are carried on the person or in the *bona fide* accompanied baggage of the passenger:

Provided further that where the passenger arriving in India by land, only used personal effects required for satisfying daily necessities of life, shall be allowed duty free:

Provided also that a passenger of the eighteen years of age or above, other than a crew member, shall be allowed clearance of one new laptop including notepad free of duty in *bona fide* baggage.

Explanation**.** – For the purposes of this rule, the free allowance of a passenger shall not be allowed to pool with the free allowance of any other passenger.

6. Special allowance for jewellery. – A resident or tourist of Indian origin residing abroad for more than one year, on return to India shall be allowed duty free clearance of jewellery upto a weight of forty grams, if brought by a female passenger or twenty grams if brought by a passenger other than a female passenger in *bona fide* baggage.

7. Transfer of residence. - (1) A resident or tourist of Indian origin, engaged in a profession abroad or transfers his residence to India, on return, shall be allowed clearance free of duty, in addition to what he is allowed under rule 3 or, as the case may be, under rule 5, articles in *bona fide* baggage to the extent mentioned in column (2), subject to the conditions, if any, mentioned in the corresponding entry in column (3) and relaxed to such extent by the authority mentioned in column (4), of Appendix-I.

(2) A foreigner with a valid visa, other than tourist visa, engaged in any profession in India or transferring his residence to India, on arrival, shall be allowed clearance free of duty, in addition to what he is allowed under rule 3 or, as the case may be, under rule 5, articles in *bona fide* baggage to the extent mentioned in column (2), subject to the conditions, if any, mentioned in the corresponding entry in column (3) and relaxed to such extent by the authority mentioned in column (4), of Appendix- II.

(3) The personal and household articles specified in Annexure-II may be brought on transfer of residence upto the value mentioned in Appendix-I and II.

(4) Where there is a shortfall in the prescribed duration of stay in India, the passenger shall, without delay, inform the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the customs station where the duty free clearance was allowed and shall pay the applicable duty, if any, alongwith interest.

8. Currency. - The import and export of currency under these rules shall be governed in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015, and the notifications issued thereunder.

9. Pets. – The import of pets by a passenger shall be regulated by the rules notified by any Ministry or Department or any authority of the Central Government.

10. Provisions regarding unaccompanied baggage. - (1) These rules shall apply to all unaccompanied baggage unless otherwise excluded under these rules:

Provided that the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow the unaccompanied baggage if it is in the possession of the passenger abroad and dispatched within one month of his arrival in India or within such period:

Provided further that the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow unaccompanied baggage to land in India upto two months before the arrival of the passenger or within such period, not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing, if he is satisfied that the passenger was prevented from arriving in India within the period of two months due to circumstances beyond his control, such as sudden illness of the passenger or a member of his family, or natural calamities or disturbed conditions or disruption of the transport or travel arrangements in the country or countries concerned or any other reasons, which necessitated a change in the travel schedule of the passenger.

11. Application of these rules to crew members. - (1) These rules shall also apply to the crew members engaged in a foreign going conveyance for importation of their baggage at the time of final pay off on termination of their engagement.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a crew member of a vessel or an aircraft other than those referred to in sub-rule (1), shall be allowed to bring articles like chocolates, cheese, cosmetics and other gift articles for their personal or family use which shall not exceed the value of two thousand and five hundred rupees.

ANNEXURE-I

(See rules 3, 5 and 7)

1. Fire arms.
2. Cartridges of fire arms exceeding 50.
3. Cigarettes exceeding 100 sticks or cigars exceeding 25 or tobacco exceeding 125gms.
4. Alcoholic liquor or wines in excess of two litres.
5. Gold or silver in any form other than ornaments.
6. Television.

ANNEXURE-II

(See rule 7)

1. Home Theatre System.
2. Air-Conditioner.
3. Microwave Oven.
4. Washing Machine.
5. Gas Cooking Range.
6. Personal Computer (Desktop Computer).
7. Laptop or Notepad.
8. Domestic Refrigerator.
9. Television.
10. Dish Washer.
11. Deep Freezer.
12. Video camera or the combination of any such Video camera with one or more of the following goods, namely: -

    (a) television receiver;

    (b) sound recording or reproducing apparatus;

    (c) video reproducing apparatus.
13. Vacuum Cleaner.
14. Air Fryer.
15. Dryer machine.
16. Air cooler.
17. Play station or any other gaming console.
18. Water Dispenser.
19. Oil heater.
20. Electric Oven.
21. Musical Instrument (Piano or Guitar, etc.).
22. Tablet (e.g. iPad).
23. Small Bluetooth Speakers.
24. Air Purifier.
25 Dehumidifier.
26. Multifunction Printer.
27. Robotic Vacuum Cleaner.
28. Massage Chair.
29. Projector.
30. Amplifier.

APPENDIX- I

(See rule 7)

(Allowances available to resident and tourist of Indian origin)

Duration of stay abroad	**Articles allowed free of duty**	**Conditions**	**Relaxation**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
From three months upto twelve months.	Personal and household articles, other than those mentioned in Annexure-I but including articles mentioned in Annexure-II not more than one unit each, upto an aggregate value of one lakh fifty thousand rupees.	-	-
Minimum stay of one year during the preceding two years.	Personal and household articles, other than those mentioned in Annexure-I but including articles mentioned in Annexure-II not more than one unit each, upto an aggregate value of three lakh rupees.	The passenger should not have availed this concession in the preceding three years.	-
Minimum stay of two years or more.	Personal and household articles, other than those listed at Annexure-I but including articles mentioned in Annexure-II not more than one unit each, upto an aggregate value of seven lakh fifty thousand rupees.	(i) Minimum stay of two years abroad, immediately preceding the date of his or her arrival on transfer of residence; (ii) Total stay in India on short visit during the two preceding years should not exceed six months; and	(a) For condition (i), shortfall of upto two months in stay abroad can be condoned by Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, if the early return is on account of:- (i) terminal leave or vacation being availed of by the passenger; or (ii) any other special circumstances for reasons to be recorded in writing. (b) For condition (ii), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs may condone short visits in excess of six months in special circumstances for reasons to be recorded in writing.

Duration of stay abroad	**Articles allowed free of duty**	**Conditions**	**Relaxation**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
		(iii) The passenger has not availed this concession in the preceding three years	(c) For condition (iii), No relaxation.

APPENDIX- II

(See rule 7)

*(*Allowances available to foreigner with valid visa other than tourist visa)

Duration of stay	**Articles allowed free of duty**	**Conditions**	**Relaxation**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
From six months up to twelve months in India.	Personal and household articles, other than those mentioned in Annexure-I but including articles mentioned in Annexure-II not more than one unit each, upto an aggregate value of one lakh fifty thousand rupees.	(i) Minimum stay of six months in India; (ii) The passenger, should not have availed this concession in the preceding one year.	For condition (i), shortfall of upto three months in stay in India can be condoned by Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, if the early departure is on account of: - (i) terminal leave being availed of by the passenger; or (ii) any other special circumstances for reasons to be recorded in writing. (b) No relaxation for condition (ii)

Duration of stay	Articles allowed free of duty	Conditions	Relaxation
(1)	(2)	(3)	(4)
Minimum stay of one year during the succeeding two years from the date of arrival in India.	Personal and household articles, other than those mentioned in Annexure-I but including articles mentioned in Annexure-II not more than one unit each, upto an aggregate value of three lakh rupees.	(i) Minimum stay of one year during the succeeding two years from the date of arrival in India.; (ii) The passenger, should not have availed this concession in the preceding three year.	For condition (i), shortfall of upto three months in stay in India can be condoned by Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs if the early departure is on account of:- (i) terminal leave being availed of by the passenger; or (ii) any other special circumstances for reasons to be recorded in writing. (b) No relaxation for condition (ii)
Minimum stay of two years or more in India.	Personal and household articles, other than those listed at Annexure-I but including articles mentioned in Annexure-II not more than one unit each, upto an aggregate value of seven lakh fifty thousand rupees.	(i) Minimum stay of two years in India, immediately during the succeeding the date of his or her arrival on transfer of residence; (ii) The passenger has not availed this concession in the	(a) For condition (i), shortfall of upto two months for stay in India can be condoned by Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, if the early return is on account of:- (i) terminal of professional contract (ii) any other special circumstances for reasons to be recorded in writing. (b) For condition (i), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs may condone short visits upto six months in special circumstances for reasons to be recorded in writing.

Duration of stay	Articles allowed free of duty	Conditions	Relaxation
(1)	(2)	(3)	(4)
		preceding three years.	(c) No relaxation for condition (ii)
returning after stay abroad of two years or more.	Personal and household articles, other than those listed at Annexure-I but including articles mentioned in Annexure-II not more than one unit each, upto an aggregate value of seven lakh fifty thousand rupees.	(i) Minimum stay of two years abroad, immediately preceding the date of his or her arrival on transfer of residence; (ii) Total stay in India on short visit during the two preceding years should not exceed six months; and (iii) The passenger has not availed this concession in the preceding three years.	(a) For condition (i), shortfall of upto two months in stay abroad can be condoned by Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs if the early return is on account of:- (i) terminal leave or vacation being availed of by the passenger; or (ii) any other special circumstances for reasons to be recorded in writing. (b) For condition (ii), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs may condone short visits in excess of six months in special circumstances for reasons to be recorded in writing. (c) For condition (iii), No relaxation.

[F. No. 450/174/2024–Cus. IV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.01 19:35:33 +05'30'